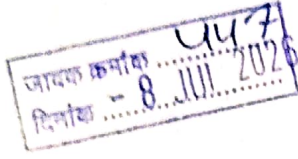


विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर (छ.ग)

(पीठारसीन अधिकारी - अध्यक्ष श्री सी०एम०बाजपेयी

सदस्य श्रीमती प्रीति रानी साव)



प्रकरण क्रमांक 26022 / 2026

संस्थित दिनांक 20.04.2026

श्री शशि भूषण पाण्डेय,

आर.के. रेसीडेन्सी तिफरा, बिलासपुर (छ०ग०)

परिवादी

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री (सं./सं.) सभाग,
छ०रा०वि०वि०क०मर्या० बिलासपुर (छ.ग.)



सहायक यंत्री (जोन),
छ०रा०वि०वि०क०मर्या० तिफरा (छ.ग.)

उत्तरवादी

आदेश

(आज दिनांक 08.07.2026 को पारित)

परिवादी की शिकायत, पुराने मीटर को बदलकर नया मीटर लगाने के बाद एकमुश्त संचयी खपत पर जारी त्रुटिपूर्ण बिल को सुधार करने तथा मांग पत्र को रद्द किये जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है;

2. मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है:-

1. परिवादी को स्थायी घरेलू कनेक्शन प्रदाय किया गया है।
2. परिवादी द्वारा मीटर में दर्ज रीडिंग के आधार पर जारी किया गया बिल परिवादी द्वारा प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहा है।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि :-

(परिवादी द्वारा घरेलू कनेक्शन प्राप्त करने के पश्चात् से लगातार नियमित रूप से मीटर में दर्ज रीडिंग के आधार पर जारी देयकों का भुगतान किया जा रहा है। परिवादी के परिसर में नया स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के बाद आगे के माह में विद्युत बिल उत्तरवादी द्वारा नहीं दिया गया तथा परिवादी द्वारा शिकायत करने पर उत्तरवादी द्वारा परिवादी को राशि रु. 144493/- का विद्युत देयक जारी किया गया। परिवादी द्वारा उत्तरवादी से पुछे जाने



पर बताया गया कि पुराने मीटर में 38789 यूनिट बकाया था इस हेतु बिल जारी किया गया है। परिवादी के अनुसार इतना अधिक खपत होना संभव नहीं है।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि :-

1. उपभोक्ता के परिसर में मीटर सरल क्रमांक पी3021656 स्मार्ट मीटर दिनांक 12.07.2024 को जीनस कंपनी द्वारा लगाया गया। इसके पूर्व परिसर में विजनटेक मीटर सरल क्रमांक व्ही0113825 लगा था। पुराने मीटर में अंतिम रीडिंग 34753.5 केडब्ल्यूएच पाया गया। मीटर जांच हेतु फोरम के निर्देशानुसार जीनस कंपनी को सहायक यंत्री, तिफरा द्वारा पत्र क्रमांक 275 दिनांक 06.05.2026 जारी कर मीटर जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है परंतु जीनस कंपनी द्वारा मीटर तिफरा कार्यालय में जमा नहीं कराया गया है।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नालिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं:-

1. क्या मीटर वाचक द्वारा मीटर में दर्ज रीडिंग अनुसार बिल प्रदाय किया जा रहा है?
2. क्या परिवादी, अपने परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन बी.पी क्रमांक 1007814296 से संबंधित विद्युत बिल में सुधार करवाये जाने का हकदार है?

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 की विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6. विचारणीय प्रश्न से संबंधित प्रथमतः बी.पी. क्रमांक 1007814296 घरेलू कनेक्शन में 38789 यूनिट खपत दर्ज करते हुए राशि रु. 144493/- को निरस्त कर सही बिल जारी करने का निवेदन किया गया है। फोरम द्वारा दस्तावेजों के निरीक्षण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत बिल सुधार हेतु निवेदन किया गया है, परिवादी का तर्क स्वीकार योग्य है।



उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क में बताया गया कि परिवादी के परिसर का मीटर बदलकर नया स्मार्ट मीटर लगाए जाने के दौरान पूर्व मीटर में एकमुश्त संचयी खपत 34753 रीडिंग एवं नये स्मार्ट मीटर में जांच दिनांक 20.03.2026 को 2428 रीडिंग दर्ज पाया गया, प्राप्त रीडिंग के अनुसार परिवादी को विद्युत देयक जारी किया गया। उत्तरवादी का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

मैं उक्त विचारणीय तथ्य का निष्कर्ष यह देता हूँ कि:-

उत्तरवादी द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह पाया गया कि प्रत्येक माह नियमित रीडिंग दस्तावेजों में दर्ज होने के बाद भी एकमुश्त संचयी खपत होना पाया गया, यह उत्तरवादी की घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है। परिवादी के

[Signature]

[Signature]

परिसर में मीटर बदलकर नया मीटर स्थापित किए जाने के बाद भी परिवादी को बिल जारी नहीं किया जाना बड़े ही खेद का विषय है।

7. समस्त विचारणीय प्रश्न के निष्कर्ष के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि सहायक यंत्री (जोन) छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि. तिफरा द्वारा परिवादी के बिल को सुधार करने संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत मैं यह पाता हूँ कि परिवादी अपना मामला साबित करने में सफल रहा है। अस्तु प्रस्तुत परिवाद स्वीकार कर निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है:-

उत्तरवादी 30 दिवस के भीतर परिवादी के विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1007814296 घरेलू कनेक्शन में जारी कुल एकमुश्त संचयी खपत यूनिट को छ0रा0वि0प्र0संहिता 2011 की कंडिका 9.16 (बी) के बिन्दु क्रमांक 01 अथवा बिन्दु क्रमांक 04 के आधार पर मीटर में दर्ज पिछले तीन माह के खपत/नया सही कार्यरत मीटर में दर्ज आगामी तीन माह के खपत के अनुसार पुनरीक्षित करे तथा छ0रा0वि0प्र0संहिता 2011 की कंडिका 9.18 के तहत उक्त नये स्मार्ट सही कार्यरत मीटर की खपत को स्लेब कर प्राप्त औसत खपत को केवल छः माह का देयक पुनरीक्षित कर परिवादी को प्रदाय करे।



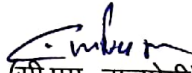
परिवादी को एकमुश्त संचयी खपत के आधार पर जारी किए गए देयक के विरुद्ध परिवादी द्वारा भुगतान की गई राशि को समायोजित करे तथा उक्त देयक में अधिरोपित अधिभार को निरस्त करे।

9. यदि परिवादी इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर
टंकित कराया गया


(प्रीति रानी साव)
सदस्य

आदेश पारित किया गया


(सी.एम. बाजपेयी)
अध्यक्ष